न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/1)

1. कृष्णा कौर पुत्री स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रीतम सिह, जाति रायसिख, निवासी–चक खीवा गुबाया, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. गुरदीप सिह पुत्र स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रीतम सिह, जाति रायसिख, निवासी चक वजीदा गुबाया, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
3. जसवंत सिह पुत्र स्व. हरबंस कौर पुत्री स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रतीम सिह, जाति रायसिख, निवासी फतुडीगा, तहसील व जिला कपूरथला (पंजाब)।
4. अंग्रेज सिह पुत्र स्व. हरबंस कौर पुत्री स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रतीम सिह, जाति रायसिख, निवासी फतुडीगा, तहसील व जिला कपूरथला (पंजाब)।
5. मनजीत कौर पुत्री स्व. हरबंस कौर पुत्री स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रतीम सिह, जाति रायसिख, निवासी फतुडीगा, तहसील व जिला कपूरथला (पंजाब)।
6. कैलाश कौर पुत्री स्व. हरबंस कौर पुत्री स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रतीम सिह, जाति रायसिख, निवासी फतुडीगा, तहसील व जिला कपूरथला (पंजाब)।
7. लालोबाई पत्नि बलवंत सिह,पुत्र स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रीतम सिह, जाति रायसिख, निवासी चक वजीदा गुबाया, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
8. सतनाम सिह पुत्र बलवंत सिह, पुत्र स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रीतम सिह, जाति रायसिख, निवासी चक वजदा गुबाया, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
9. नरेश सिह पुत्र बलवंत सिह, पुत्र स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रीतम सिह, जाति रायसिख, निवासी चक वजीदा गुबाया, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
10. चिन्ताबाई पुत्री बलवंत सिह, पुत्र स्व. गुलाब सिह उर्फ प्रीतम सिह, जाति रायसिख, निवासी चक वजीदा गुबाया, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

उक्त सभी जरिये मुख्त्यार वीरसिह पुत्र श्री महताबसिह जाति रायसिख निवासी वार्ड नंबर 6 सतीपुरा 50 एनजीसी ग्रामीण हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. जंगीर सिह पुत्र श्री जगतार सिह, जाति रायसिख, निवासी बशीर, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

रेस्पोडेंट्स

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1. श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री महेश कुमार स्वामी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय दिनांकः 12.12.2025

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ अपील सं. 41/2018 के निर्णय दिनांक 04.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपील संख्या 41/20118 अनवान गुरदेवा बाई वगैरह बनाम तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, जंगीर सिह पुत्र जगतार सिह वगैरह के निर्णय दिनांक 04.12.2024 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 04.12.2024 को निरस्त कर तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी का इन्तकाल संख्या 24 दिनांक 24.05.1985 निरस्त कर मृतक स्व. गुलाब सिह के सभी वारिसानो अर्थात अपीलान्ट्स के नाम से इन्तकाल दर्ज के करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित बहस को ही अंतिम बहस बताया । उन्होने आगे कथन किया कि गुलाब सिह पुत्र श्री लहणां सिह जाति रायसिंख निवासी बशीर तहसील टिब्बी के नाम चक नं. 6 एफ.टी.पी. के पं. नं. 284/245 (51) किला नं. 10–11–20–21, पं. नं. 203/245 (52) किला नं. 6 से 9, 12 से 19, 22 से 25, पं. नं. 203/246 (55) किला नं. 4 से 7 व पं. नं. 274/246 (56) किला नं. 1 कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार (कस्टोडियम विभाग) द्वारा आवंटित थी। अर्सा दराज पूर्व श्री गुलाब सिह परिवार सहित चक वजीदा गुबाया, तहसील फाजिल्का जाकर रहने लग गये। जगतार सिह गुलाब सिह की बिरादरी के व्यक्ति थे व गुलाब सिह को रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता पर विश्वास था इसलिए गुलाब सिह उक्त वर्णित भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता को हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाने लगें। जगतार सिह ने गुलाब सिह के मृत होने व स्वय को गुलाब सिह के विधिक वारिसान होने के मिथ्या अभिवाक् कर स्व. गुलाब सिह की उक्त भूमि अपीलाधीन इन्तकाल

सं. 24 दिनांक 24.05.1985 राजस्व अभिलेख मे अपने नाम दर्ज करवा ली। इसकी जानकारी होने पर उक्त इन्तकाल को निरस्त करवाने की अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में दायर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2024 को मियाद के बिन्दु पर अपील को खारिज कर दिया गया। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन कर अपीलान्ट्स की अपील मन्जूर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का आदेश दिनांक 24.12.2024 निरस्त करने तथा तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी का इन्तकाल सं. 24 दिनांक 24.05.1985 का आदेश निरस्त कर मृतक स्व. गुलाब सिह के सभी वारिसान अर्थात अपीलान्ट्स के नाम से इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस़ प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट्स कृष्णा कौर वगैरह अजनबी व फर्जी व्यक्ति है और वास्तव में मृतक प्रीतम सिह पुत्र नागर सिह के वारिसान है जो विधान सभा जलालाबाद की वोटरलिस्ट सन् 1983 व 2021 से साबित है। इन्होने झूठी मिथ्या मनगढत व काल्पनिक कहानी बनाकर मृतक प्रीतम सिह पुत्र नागर सिह को फर्जी गुलाब सिह पुत्र लहणा सिह प्रतिरूपित करके पंचायत से गुलाब सिह के नामं से फर्जी व कूटरचित मृत्यु तस्दीक प्रमाण पत्र वारिसनामा तैयार करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपीलान्ट्स झूठे व मिथ्या कथन कर रहे है कि हमारे पिता को राष्ट्रपति भारत सरकार (कस्टोडियम विभाग) द्वारा आवंटित थी। अगर आवंटित होती तो अपीलान्ट्स अपील मे कस्टोडियम विभाग का रिकॉर्ड प्रस्तुत करते। गुरदेवाबाई ने मन रेस्पोडेन्ट के खिलाफ पुलिस थाना टिब्बी मे झूठे तथ्यो के आधार पर मुकद्मा दर्ज करवाया था। पुलिस थाना टिब्बी ने जांच कर मामला एफ. आर. अदम वकू (झूठ) का पाया गया है। इस प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट तक मुकदमें चलते रहे जिनका फैसला मन रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे हुआ है। तहसीलदार टिब्बी ने कस्टोडियन विभाग के जिला पुनर्वास अधिकारी/मैनेजिग आफिसर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.6.1977 की अनुपालना मे इंतकाल नं. 24 दिनांक 24.5.1985 मन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेंट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आदेश दिनांक 23.6.1977 के खिलाफ जिलाधीश प्राधिकृत चीफ सेटलमेंट कमीशनर श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी भी प्रस्तुत हुई जो अदम हाजरी में दिनांक 23.09.1985 को खारिज हुई थी। अपीलान्ट्स से 39 वर्षो के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अंदर मियाद न होने के कारण खारिज फरमायी गई। अतः लिखित बहस रेस्पोडेन्ट जंगीर सिह की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स संशुल्क खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में **Union of India vs jahangir Byramji jeejeebhoy (d)... on 3 April, 2024 author Aniruddha Bose In the supreme court of India** का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04.12.2024 व नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 24.05.1985 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2024 व नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 24.05.1985 को खारिज कर मृतक स्व. गुलाब सिह के सभी वारिसानो अर्थात अपीलान्ट्स के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश देने का निवेदन गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा केवल मियाद बिन्दु पर निर्णय पारित करते हुए अपील को मियाद अवधि से बाहर होने से खारिज कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में मियाद के साथ गुणावगुण पर भी निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय 04.12.2024 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर की अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2024 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपास्त किया जाता है, तथा प्रकरण अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 12.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर